KUMAUN GARHWAL
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
UTTARAKHAND
CHAMBER HOUSE, INDUSTRIAL ESTATE, BAZPUR ROAD, KASHIPUR, DISTT. U. S. NAGAR (UTTARAKHAND)
Phone : (05947) 262478, Fax : (05947) 262078, E-mail : kgcci10@gmail.com, Website : www.kgcci.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक : 15 जुलाई, 2020

वन उत्पादों पर मण्डी शुल्क हटाये जाने के सम्बन्ध में

श्री अशोक बन्सल, अध्यक्ष, कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, वन, श्री आनन्द वर्धन, प्रबन्ध निदेशक, वन विकास निगम, श्री मोनिश मलिक व निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड, श्री सुधीर नौटियाल को पत्र भेज कर अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा मण्डी परिसर के बाहर विक्रय किये जाने वाले उत्पादों से मण्डी शुल्क हटा दिया गया है।

इसके विपरीत उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वन उत्पादों पर अभी भी मण्डी शुल्क की वसूली की जा रही है जो कि वैधानिक दृष्टिकोण से सरासर गलत है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वन उत्पादों पर मण्डी शुल्क लिये जाने पर वन उत्पाद खरीदने वाले ठेकेदारों द्वारा वन उत्पादों की नीलामी का बहिष्कार कर दिया गया है। उसके बावजूद भी वन विकास निगम द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली को स्थगित नहीं किया जा रहा है।

पत्र में श्री अशोक बन्सल द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में उत्तराखण्ड की तरह पड़ौसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी वन उत्पादों पर मण्डी शुल्क वसूलने की व्यवस्था थी परन्तु अब केन्द्र सरकार द्वारा मण्डी शुल्क समाप्त करने हेतु जारी दिशा–निर्देशों के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम एवं निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ के मध्य माह दिसम्बर, 1993 में निस्तारित अनुबन्ध–पत्र को निरस्त कर वन उपज पर मण्डी शुल्क की वसूली बन्द कर दी गयी है।

पत्र में श्री अशोक बन्सल द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री जी से माँग की गयी है कि चूँकि अब उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा भी वन उत्पाद पर मण्डी शुल्क समाप्त कर दिया गया है, अतः राज्य के प्रकाष्ठ आधारित उद्योगों के हित में उत्तराखण्ड में भी वन उत्पाद (टिम्बर) के विक्रय पर मण्डी शुल्क की वसूली को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए।

धन्यवाद सहित

भवदीय

(अशोक बन्सल)
अध्यक्ष